हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास

भिनगा, संवाददाता। अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने वर्ष 2012 में हुई हत्या के मामले में हत्या अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।

मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ओरीपुरवा के मजरा टिकुइया निवासी लल्लू प्रसाद यादव पुत्र पहलवान ने थाने में तहरीर देकर कहा था कि 25 अगस्त 2012 को मेरा छोटा भाई जवाहिर उम्र 18 वर्ष भैंस लेकर चराने के लिए गया था। बुढ़ऊ वर्मा पुत्र प्यारे वर्मा निवासी छोटकाओरीपुरवा के खेत के पास भैंस चरा रहा था। भैंस बब्लू वर्मा के खेत में चली गई। इस पर समय लगभग 4:00 बजे बुढ़ऊ वर्मा ने हाथ में हंसिया लेकर मेरे भाई जवाहिर के दाहिने सीने पर मार दिया जिससे उसका दाहिना सीना फट गया और मौके पर ही जवाहिर की मृत्यु हो गई। मल्हीपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना की। मामले का विचारण अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट की अदालत पर हुआ।

हत्यारोपित को सश्रम आजीवन कारावास

अदालत से

जासं, श्रावस्ती : हंसिया से हमला कर हत्या करने मामले में दोषी को अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सत्येंद्र बहादुर सिंह सिंह ने बताया कि मल्हीपुर क्षेत्र के टिकुइया के ओरीपुरवा निवासी जवाहिर 25 अगस्त 2012 को भैंस लेकर दोपहर में चराने के लिए गए थे। छोटकाओरीपुरवा निवासी बुढ़ऊ वर्मा के खेत के पास भैंस चरा रहे थे।

शाम लगभग चार बजे बुढ़ऊ ने भैंस खेत में चले जाने से क्रोधित होकर जवाहिर के सीने पर हंसिया से वार कर दिया। इससे दाहिनी ओर उनका सीना फट गया और मौत हो गई। आरोपित की निशानदेही पर आला कत्ल बरामद हुआ था। मामले का विचारण अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की अदालत पर हुआ। अपर जिला जज अजय सिंह ने आरोपित बुढ़ऊ वर्मा को दोषी सिद्ध करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।